संख्या-33/2017/825/सैंतीस-2-2017-1(12)/2015

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-18 मई, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2403-पशुपालन के अन्तर्गत गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन के लिए लेखानुदान अवधि हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-580/बजट/29(5)/30/13/2017-18, दिनांक-12.05.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-23/2017/546/सैंतीस-2-2017-1(12)/2015, दिनांक-27.04.2017 द्वारा गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन के लिए लेखानुदान अवधि हेतु रू0-17.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के विषय में "चालू वित्तीय वर्ष 2017-18" के स्थान पर त्रुटिवश "चालू वित्तीय वर्ष 2016-17" अंकित हो गया है। अतएव उपरोक्त शासनादेश दिनांक-27.04.2017 के विषय में अंकित "चालू वित्तीय वर्ष 2016-17" के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष 2017-18" पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक-27.04.2017 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-33/2017/825(1)/सैंतीस-2-2017- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव/गोसेवा अधिकारी, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, 10वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in